सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) का कार्यान्वयन अनुदेश

योजना का नाम – नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) (60:40)

भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार आत्मा योजना के कार्यक्रम एवं उक्त योजना के कार्यांवयन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों का कार्य एवं दायित्व का निर्धारण–

1. **राज्य स्तर पर बामेती, पटना द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उसका कियांवयन –**

i. त्रैमासिक बैठक का आयोजन – एस.ई.ड्ब्ल्यु.पी. में निर्धारित लक्ष्य (भौतिक एवं वित्तीय) के अनुसार प्रधान सचिव/सचिव–सह राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना)धनिदेशक बामेती की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों के परियोजना निदेशक, आत्मा का प्रत्येक तीन महिने पर आत्मा योजना एवं अन्य योजनाओं के सफल कार्यांवयन एवं इसके दौरान आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जायेगा। राज्य स्तर पर उक्त बैठक राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) , बिहार, पटना के अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। बैठक आयोजित कराने की जिम्मेवारी निदेशक बामेती, बिहार, पटना की होगी। इसके अलावा निदेशक, बामेती भी समय–समय पर अपने स्तर से बैठक आयोजित कराकर प्रगति से सम्बन्धित वस्तुस्थिति की जानकारी राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) को उपलब्ध करायेंगे तथा उनसे आवशयक निदेश प्राप्त कर सभी संबन्धित कार्यक्रमो के सफल संचालन हेतु आवश्यक कारवाई करेंगे। बैठक आयोजन हेतु आवश्यक प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त कर अंतिम समेकित प्रतिवेदन तैयार करते हुए निदेशक, बामेती, पटना को उपलब्ध करायेंगे तथा उनसे आवशयक सुझाव प्राप्त कर बैठक की कार्यावली तैयार करने एवं सफलता पूर्वक बैठक आयोजित कराने में निदेशक को सम्पूर्ण सह्योग करने की जिम्मेवारी आत्मा नोडल सेल के स्टेट कॉर्डिनेटर/जेण्डर कॉर्डिनेटर की होगी।

ii. Concurret Monitoring & Evaluation — राज्य के सभी जिलों/ प्रखंडों में आत्मा योजना अंतर्गत किए गये/जा रहे कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, थर्ड पार्टी के माध्यम से कराया जाएगा। उक्त कार्य हेतु थर्ड पार्टी का चयन बामेती, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार अधिकतम 15,00,000-00 रु. (पंद्रह लाख रू. मात्र) प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर पर उक्त राशि का अनुमोदन एस.ई.ड्ब्ल्यु.पी. में कराया जायेगा। थर्ड पार्टी द्वारा उक्त योजना अंतर्गत जिलावार/ प्रखण्डवार आवंटित लक्ष्यों (भौतिक एवं वित्तीय) तथा इसके अनुसार संबन्धित कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर इसका प्रतिवेदन निदेशक, बामेती को उपलब्ध करायेगे। निदेशक बामेती द्वारा थर्ड पार्टी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवशयक सुझावों से राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना), बिहार को अवगत करायेंगे। राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा इस विषय पर प्राप्त निदेश/सुझाव के आलोक में उचित कारवाई/अनुपालन करने हेतु सभी परियोजना निदेशक आत्मा को निदेशित किया जायेगा। राज्य स्तर पर थर्ड पार्टी का चयन राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना), बिहार की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन कर किया जायेगा।

iii. Expenses for Inter Departmental Working Group on extension reforms and other contingencies Including Operational support TA/ DA, hiring of vehicle/ POL, and contingencies for officers of State Nodal Cell and State Coordinator and Gender Coordinator

— अंतर्विभागीय कार्यसमुह (IDWG) के बैठक के आयोजन में, राज्य नोडल पदाधिकारी का, आत्मा नोडल सेल, स्टेट कॉर्डिनेटर, जेण्डर कॉर्डिनेटर के ऑपरेशनल व्यय की राशि का इसी मद से करने का प्रावधान है (भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदि्र्शका के अनुसार) । उक्त कार्य हेतु व्यय होने वाली राशि की भुगतान कराने की जिम्मेवारी निदेशक, बामेती की होगी ।

iv. Training/Seminar/Workshop - National/Inter State/Within the state (SAMETI) level — राज्य स्तर पर कृषि एवं सम्बद्ध विषयों यथा पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्यान, डेयरी, कुक्कुटपालन, बकरीपालन सहित अन्य विषयों पर विभागीय पदाधिकारियों, प्रसार कर्मियों, आत्मा योजना अंतर्गत निबन्धित समुहों के सदस्यों, अध्यक्षों तथा राज्य के प्रगतिशील किसानों/ उद्यमियों के क्षमतासंवर्धन हेतु प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला आदि कार्यक्रमों का आयोजन बामेती, पटना द्वारा बामेती परिसर, पटना में एवं राज्य के अन्य कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध संस्थानो में किया जायेगा। प्रतिवर्ष इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक वार्षिक कैलेडर किया जायेगा। वार्षिक कैलेडर तैयार करने हेतु प्रधान सचिवध सचिव कृषि की अध्यक्षता में Training Need Assesment से संबन्धित एक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के पदाधिकारियों, राज्य अवस्थित विश्वविद्यालयों/अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञो द्वारा भाग लिया जायेगा। बैठक में विचार–विमर्श कर बिहार राज्य के परिपेक्ष्य में आवश्यकतानुसार संबन्धित विषय को सम्मिलित करते हुए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जायेगा। बामेती द्वारा तैयार किये गये वार्षिक कैलेंडर पर विभाग के सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत सभी संबन्धित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बामेती के स्तर से कार्यवाई की जायेगी। इस कार्य की जिम्मेवारी निदेशक, बामेती, पटना की होगी तथा बामेती के उपनिदेशक इस कार्य में उन्हें सहयोग करेंगे तथा इसका अनुश्रवण राज्य नोडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।

v. Induction training of ATMA functionaries – आत्मा योजना अंतर्गत नवनियोजित पदाधिकारियों/कर्मियो को आत्मा योजना/ विभागीय योजनाओ की जानकारी के साथ–साथ खेती–बारी एवं पशुपालन की तकनीकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बामेती स्तर से निदेशक, बामेती के माध्यम से किया जायेगा। प्रशिक्षण के सफल आयोजन की जवाबदेही निदेशक बामेती की होगी तथा बामेती के उपनिदेशक इस कार्य में उन्हें सहयोग करेंगे तथा नवनियोजित पदाधिकारियों/ कर्मियों को नामित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेत भेजने की जिम्मेवारी परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी तथा इसका अनुश्रवण राज्य नोडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।

vi. Refresher training of ATMA functionaries - आत्मा योजना अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मियों को आत्मा योजना/विभाग के स्तर पर क्रियांवित किए जा रहे विभिन्न योजनाओ/कार्यक्रमो के साथ–साथ विभाग के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा इसके लिए प्रशिक्षण के सफल आयोजन की जवाबदेही निदेशक बामेती की होगी तथा बामेती के उपनिदेशक इस कार्य में उन्हें सहयोग करेंगे। पदाधिकारियों/ कर्मियों को नामित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेत भेजने की जिम्मेवारी परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी।

vii. Exposure visit of extension functionaries - वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार परिभ्रमण का आयोजन संबंधित संस्थानों से तय विषयों पर पदाधिकारियों की सूची प्राप्त किया जायेगा तथा एक

समूह बनाकर उन्हें परिभ्रमण हेतु संबंधित उत्कृष्ट संस्थानों में भेजा जायेगा है। परिभ्रमण कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 5 दिनों की होगी। परिभ्रमण हेतु पत्राचार के माध्यम से उत्कृष्ट संस्थानों का चयन किया जाएगा इसकी जवाबदेही राज्य स्तर पर निदेशक बामेती की होगी। जिला स्तर से Exposure visit हेतु पदाधिकारियों/ प्रसार कर्मियों को नामित कर सूचि भेजने की सम्पुर्ण जिम्मेवारी परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी तथा कृषि विभाग के विभिन्न संभाग से नामित कर भेजने की जिम्मेवारी संबन्धित संभाग के प्रधान की होगी। विषयवार सूचि प्राप्त होने के पश्चात राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) अनुमोदनोपरांत संबन्धित विषय के उत्कृष्ट संस्थान से समंवय करेंगे। एस.ई.ड्ब्ल्यु.पी. में निर्धारित लक्ष्य (भौतिक एवं वित्तीय) के अनुसार संबन्धित पदाधिकारी को भेजने की जिम्मेवारी निदेशक, बामेती की होगी। परिदर्शन के समाप्ति के उपरांत प्रधान सचिव, कृषि विभागध्सचिव–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी(आत्मा योजना), कृषि विभाग, बिहार के समक्ष अपने अनुभव का साझा करेंगे।

viii. **Organization of State level Exhibition/Kisan Mela/Fruit/Veg. Shows etc.** - राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले एक्जीविशन/मेला में राज्य के किसानों को प्रादर्श के साथ आमंत्रित किया जाएगा तथा बामेती के द्वारा उन्हें पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य की जिम्मेवारी निदेशक बामेती की होगी।

ix. Participation in Krishi Expo and Regional Fair organized/supported by DAC - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से आयोजित कि, जाएगी। Krishi Expo and Regional Fair में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया जाएगा। प्रतिभागियों की सूचि भेजने की जिम्मेवारी राज्य स्तर पर निदेशक, बामेती, बिहारध्कृषि विभाग के सम्बन्धित संभाग के प्रधान तथा जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्माके प्रतिभागियों निदेशक, बामेती के माध्यम से Krishi Expo and Regional Fair में भाग लेने के लिए प्राप्त प्रतिभागियों की सूचि को राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) से अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) से अनुमोदनोपरांत भाग लेने हेतु प्रतिभागियों को भेजने का उत्तरदायित्व निदेशक बामेती की होगी।

x. Award for Best performing ATMA - वित्तीय वर्ष के अंदर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आत्मा जिला को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिसके लिए 1.5 लाख रू0 का प्रावधान किया गया है। एस0ई0डब्लू0पी0 में उपलब्ध कराए गए लक्ष्य के अनुसार मदवार अधिकतम उपलब्धि एवं अतिविशिष्ट कार्य करने वाले जिले को एक समिति गठित कर समिति के अनुशंसा के आलोक में पुरस्कृत किया जाएगा। समिति के निम्न सदस्य होगें–

- निदेशक बामेती – अध्यक्ष
- निदेशक प्रसार शिक्षा, डा0रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा, समस्तीपुर – सदस्य
- निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय – सदस्य
- प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा नोडल सेल – सदस्य
- उप निदेशक (शस्य) सूचना – सदस्य
- उप निदेशक (सूचना तकनीक) – सदस्य सचिव

इसका अनुश्रवण राज्य नोडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा

xi. Documentation of Success Stories – इस कार्य हेतु राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत पंचायतों में कार्यरत सहायक तकनीकी प्रबन्धक/ कृषि समन्वयक /किसान सलाहकार द्वारा कृषि एव कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट/नवाचार/उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुरूष/महिला प्रगतिशील किसानों का चयन कर उनके द्वारा किये गये विशिष्ट/नवाचार कार्यों के उपर सफलता की कहानी तैयार कर प्रखण्ड स्तर कार्यरत प्रखड तकनीकी प्रबन्धक/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इनके द्वारा विषयवार सम्बन्धित कर्मी से प्राप्त सफलता की कहानी को कम्पाईल कर समेकित रुप से तैयार करते हुए अपने सम्बन्धित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा इसे अंतिम रूप देने हेतु अपनी अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन करेंगे। गठित कमिटि द्वारा प्राप्त किसानों के सफलता की कहानी की समीक्षा की जायेगी। समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक द्वारा अंतिम रुप से समेकित सफलता की कहानी से संबन्धित प्रतिवेदन तैयार कर संबन्धित जिले के परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे।

प्रखण्ड स्तर पर गठित कमिटि निम्न प्रकार से होंगे:–

- प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी — अध्यक्ष
- प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी — सदस्य
- प्रखण्ड मत्स्य/प्रसार पदाधिकारी — सदस्य
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी — सदस्य
- किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष — सदस्य
- कृषि समन्वयक — सदस्य
- प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक — सदस्य सचिव

प्रखण्डों द्वारा जिला के आत्मा कार्यालय को उपलब्ध कराये गये किसानो के सफलता की कहानी के सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार–विमर्श करने हेतु जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया जायेगा। जिला स्तर पर गठित कमिटि द्वारा प्राप्त कहानियों की समीक्षा कर इसे अंतिम रुप प्रदान करते हुए राज्य स्तर पर बामेती कार्यालय, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला स्तर पर गठित कमिटि निम्न प्रकार से होंगे:–

- जिला कृषि पदाधिकारी — अध्यक्ष
- सहायक निदेशक उद्यान — सदस्य
- जिला पशुपालन पदाधिकारी — सदस्य
- सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण — सदस्य
- जिला मत्स्य पदाधिकारी — सदस्य
- परियोजना निदेशक, आत्मा — सदस्य सचिव

बामेती, पटना को प्राप्त विषयवार विशिष्ट/नवाचार कार्य करने वाले पुरुष/महिला प्रगतिशील किसानो की सफलता की कहानी के सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार–विमर्श करने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, बामेती, बिहार की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया जायेगा। राज्य स्तर पर गठित कमिटि दवारा प्राप्त कहानियों की समीक्षा कर इसे अंतिम रुप प्रदान करते हुए इसका निर्माण पुस्तिका, वृतचित्र एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी।

राज्य स्तर पर गठित कमिटि निम्न प्रकार से होंगे:–

- निदेशक, बामेती, बिहार — अध्यक्ष
- प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा योजना — सदस्य
- स्टेट कॉर्डिनेटर, आत्मा नोडल सेल — सदस्य
- उप निदेशक (पौधा संरक्षण), बामेती — सदस्य
- उप निदेशक (मत्स्य), बामेती — सदस्य
- उप निदेशक (प्रसार प्रबन्धन), बामेती — सदस्य सचिव

सफलता की कहानी का निर्माण से संबन्धित जवाबदेही निदेशक, बामेती, पटना की होगी। उपनिदेशक, बामेती इस कार्य में सह्योग करेंगे।

xii. **Pico projector/ Ultra light protable projector and Hand Held Devices** - जिलों में आत्मा योजना के सफल कार्यान्वयन, मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा कृषि में उपयोग हो रहे आधुनिकतम तकनीकों का प्रस्तुतीकरण एवं प्रदर्शन हेतु उपयोग किया जाएगा। पीको प्रोजेक्टर/हैण्ड हेल्ड डिवाइसेस प्रखंड / जिला / राज्य स्तर पर आत्मा में कार्यरत पदाधिकारियों / प्रसार कर्मियों को उपलब्ध कराया जायेगा । पीको प्रोजेक्टर/हैण्ड हेल्ड डिवाइसेस का ई–निविदा के माध्यम से क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसकी प्रकिया पूर्ण हो चूकि है। क्रय के उपरांत इसे जिला/राज्य स्तर पर आत्मा में कार्यरत पदाधिकारियों/प्रसार कर्मियों को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी निदेशक बामेती, बिहार, पटना की होगी तथा उपनिदेशक, बामेती इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे।

2. **जिला स्तर पर कार्यों का कार्यान्वयन –**

i.. (क) जिला के अंदर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम – प्रशिक्षण कार्यक्रम एस0आर0ई0पी0 में चिन्हित समस्याओं एवं क्षेत्र के अनुसार प्रखंडवार कार्यक्रम बनाया जायेगा। आवासीय प्रशिक्षण अधिकतम 02 दिन की होगी जिसके लिए 400.00 (चार सौ) रूपये प्रतिदिन आवासीय प्रशिक्षण तथा गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु 250.00 (दो सौ पचास) रू0 प्रति किसान प्रतिदिन की दर से व्यय होगा। इसमें आने–जाने का वास्तविक बस किराया/द्वितीय श्रेणी स्लीपर रेल किराया, ठहरने, जलपान, भोजन, प्रशिक्षण व्यय आदि सभी सम्मिलित किए गए हैं। सहायक तकनीकी प्रबन्धक /कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार द्वारा अपने-अपने प्रखण्ड के निर्धारित पंचायत से Component wise आवेदन आरक्षण रोस्टर (अनुसूचित जाति–16%, अनुसूचित जनजाति–1% तथा महिलाओं के लिए 33%) को ध्यान में रखते हुए संग्रह किया जाएगा साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि एक ही किसान का चयन बारम्बार ना हो । प्रखंड स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की उतरदायित्व प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक की होगी। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/ सहायक

तकनीकी प्रबन्धक /कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार द्वारा संग्रहित आवेदन पत्रों को प्रखंड तकनीकी प्रबन्धक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एस.ई.डब्लू.पी. में निर्धारित प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार प्राप्त विषयवार आवेदन पत्रों को कम्पाईल कर एवं सूची तैयार कर अग्रेतर कार्यवाई हेतु अपने संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी की सहमति से परियोजना निदेशक आत्मा को उपलब्ध करायेंगे। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने अनुमंडल अंतर्गत आने वाले प्रखंडों का अनुश्रवण करेंगे। परियोजना निदेशक आत्मा प्रखंडवार एवं विषयवार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को संकलित कराते हुए जिला के अंदर प्रतिष्ठित कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों/अन्य संस्थानों/स्वयं की व्यवस्था से प्रशिक्षण आयोजित कराने की कृत कार्रवाई करेंगे। उक्त प्रशिक्षण का अनुश्रवण जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के साथ–साथ कृषि विभाग के जिला स्तर के संबंधित विषय के पदाधिकारी की होगी तथा प्रमंडल स्तर पर अनुश्रवण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) की होगी। राज्य स्तर पर समीक्षा प्रधान सचिव, कृषि विभाग/सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे।

(ख) राज्य के अंदर किसान प्रशिक्षण – किसानों का प्रशिक्षण जिला से बाहर परन्तु राज्य के अंदर राज्य एवं राज्य के किसी भी जिलों के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकतम 07 दिनों की हीं होगी तथा प्रति किसान अधिकतम 1000.00 (एक हजार) रूपये प्रति दिन व्यय होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इच्छुक महिला/पुरुष किसानों के द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक के पास अपना आवेदन जमा करना होगा। प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक/सहायक तकनीकी प्रबन्धक द्वारा अपने-अपने प्रखण्ड का Component wise आवेदन आरक्षण रोस्टर (अनुसूचित जाति–16%, अनुसूचित जनजाति–1% तथा महिलाओं के लिए 33%) को ध्यान में रखते हुए संग्रह करके सूची तैयार किया जाएगा साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि एक ही किसान का चयन बारम्बार ना हो तथा अग्रेतर कार्यवाई हेतु अपने–अपने जिले के परियोजना निदेशक आत्मा को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना निदेशक आत्मा इच्छुक महिला/पुरुष किसान के द्वारा प्राप्त विषयवार आवेदन से सम्बन्धित विषय के अनुसार राज्य के अंदर प्रतिष्ठित संस्थानों से सम्पर्क कर किसानो का प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था करेंगे। राज्य स्तर पर समीक्षा प्रधान सचिव, कृषि विभाग /सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे।, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा की है।

(ग) राज्य के बाहर किसान प्रशिक्षण – एस0आर0ई0पी0 में चिन्हित समस्याओं पर आधारित विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण राज्य के बाहर आयोजित की जा सकती है जिसकी अधिकतम अवधि 7 दिन की होगी। प्रति किसान अधिकतम 1250 (एक हजार दो सौ पचास) रूपये प्रति दिन व्यय होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इच्छुक महिला/पुरुष किसानों के द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक के पास अपना आवेदन जमा करना होगा। प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धकध्सहायक तकनीकी प्रबन्धक द्वारा अपने–अपने प्रखण्ड का Component wise आवेदन आरक्षण रोस्टर (अनुसूचित जाति–16%,

अनुसूचित जनजाति–1% तथा महिलाओं के लिए 33%) को ध्यान में रखते हुए संग्रह करके सूची तैयार किया जाएगा साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि एक ही किसान का चयन बारम्बार ना हो तथा अग्रेतर कार्यवाई हेतु अपने–अपने जिले के परियोजना निदेशक आत्मा को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना निदेशक आत्मा इच्छुक महिला/पुरुष किसान के द्वारा प्राप्त कोम्पोनेंट वार आवेदन से सम्बन्धित विषय के अनुसार राज्य के बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों से सम्पर्क कर किसानो का प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था करेंगे जिसका राज्य स्तर पर समीक्षा प्रधान सचिव,कृषि विभाग/सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे।, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा की है।

ii. **प्रत्यक्षण/प्रदर्शन**

(क) कृषि –एस0आर0ई0पी0 में चिन्हित समस्याओं पर प्रत्यक्षण किया जाएगा। प्रत्यक्षण क्षेत्र 0.4 हे0 अर्थात 01 एकड़ का होगा। एन.एफ.एस.एम. प्रत्यक्षण के अनसार धान/गेहूँ/दलहन फसलों के एक एकड़ में प्रत्यक्षण पर अधिकतम व्यय 3000.00 (तीन हजार) रूपये प्रति प्रत्यक्षण होगा।

(ख) प्रदर्शन/प्रत्यक्षण (सम्बद्ध क्षेत्र)–एस0आर0ई0पी0 में चिन्हित सम्बद्ध क्षेत्रों के प्रत्यक्षण यथा–उद्यान, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुटपालन, बकरीपालन, मत्स्यपालन, मशरूम उत्पादन आदि पर प्रति प्रत्यक्षण अधिकतम व्यय 4000.00 (चार हजार) रूपये व्यय किया जाएगा।

कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रत्यक्षण कार्य हेतु ऐसे प्रगतिशील एवं नवाचार कार्य से जुड़े इच्छुक किसानो का चयन किया जाएगा जिनके पास सिंचाईयुक्त कम से कम एक एकड़ जमीन हो तथा जो सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ हो। प्रखंड स्तर पर प्रत्यक्षण हेतु इच्छुक किसानों का चयन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/सहायक तकनीकी प्रबंधक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार द्वारा किया जाएगा। चयनित किसानों की सूची प्रखंड तकनीकी प्रबंधक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी के सहमति प्राप्त कर सूची परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराई जाएगी। तद्नुसार परियोजना निदेशक, आत्मा संबंधित विषयों पर प्रत्यक्षण का कार्यान्वयन करेंगे। राज्य स्तर पर समीक्षा प्रधान सचिव,कृषि विभाग/सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे। प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा की है।

iii. **किसान परिभ्रमण**

(क) राज्य के बाहर परिभ्रमण–एस0आर0ई0पी0 में चिन्हित समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। यात्रा अवधि आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाए परन्तु परिभ्रमण की अवधि यात्रा अवधि छोड़कर अधिकतम 5 दिनों की होगी। परिभ्रमण पर अधिकतम व्यय 800.00 (आठ सौ) रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से होगा। इसमें आने–जाने वाले का वास्तविक बस भाड़ा/द्वितीय श्रेणी स्लीपर

ट्रेन भाड़ा, चाय, जलपान, भोजन आदि सभी सम्मिलित होंगे। भ्रमण उपरांत संक्षिप्त नोट तैयार किया जाए जिससे भविष्य के कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी। भ्रमण नोट की एक प्रति राज्य नोडल सेल को उपलब्ध कराई जाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इच्छुक महिला/पुरुष किसानों को किसान सलाहकार अपने संबन्धित पंचायत के प्रशिक्षण से सम्बन्धित जानकारी देंगे तत्पश्चात प्रखंड स्तर पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा (अनुसूचित जाति–16%, अनुसूचित जनजाति–1% तथा महिलाओं के लिए 33%) चयन किया जाएगा साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि एक ही किसान का चयन बारम्बार ना हो एवं इसकी सूची परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा संबंधित विषयों पर प्रतिष्ठित संस्थानों से सम्पर्क कर राज्य के बाहर परिभ्रमण का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर समीक्षा प्रधान सचिव,कृषि विभाग/सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे।, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा की है।

(ख) राज्य के अंदर परिभ्रमण–एस0आर0ई0पी0 में चिन्हित समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। यात्रा अवधि आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाए परन्तु परिभ्रमण की अवधि यात्रा अवधि छोड़कर अधिकरतम 5 दिनों का होगा। परिभ्रमण पर अधिकतम व्यय 500.00 (पाँच सौ) रू0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से होगा। इसमें आने–जाने का वास्तविक बस भाड़ा/द्वितीय श्रेणी स्लीपर ट्रेन भाड़ा, ठहरने, चाय, जलपान, भोजन आदि सभी सम्मिलित हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इच्छुक महिला/पुरुष किसानों को प्रखंड स्तर पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा (अनुसूचित जाति–16%, अनुसूचित जनजाति–1% तथा महिलाओं के लिए 33%) चयन किया जाएगा साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि एक ही किसान का चयन बारम्बार ना हो एवं इसकी सूची परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा संबंधित विषयों पर प्रतिष्ठित संस्थानों से सम्पर्क कर राज्य के अंदर परिभ्रमण का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर समीक्षा प्रधान सचिव,कृषि विभागध्सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे।, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा की है।

(ग) जिला के अंदर परिभ्रमण–एस0आर0ई0पी0 में चिन्हित समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। यात्रा अवधि आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाए परन्तु परिभ्रमण की अवधि यात्रा अवधि छोड़कर अधिकतम 5 दिनों का होगा। परिभ्रमण पर अधिकतम व्यय 300.00 (तीन सौ) रूपये प्रति किसान प्रति दिन की दर से होगा। इसमें आने–जाने का वास्तविक बस भाड़ा/द्वितीय श्रेणी स्लीपर ट्रेन भाड़ा, ठहरने, चाय, जलपान, भोजन आदि सभी सम्मिलित हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इच्छुक महिला/पुरुष किसानों को प्रखंड स्तर पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा (अनुसूचित जाति–16%, अनुसूचित जनजाति–1% तथा महिलाओं के लिए 33%) चयन किया जाएगा साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि एक ही किसान का चयन बारम्बार ना हो एवं इसकी सूची परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना

a. किसान की पात्रता –

क. खेती/प्रक्षेत्र के लिए –

i. **कृषि प्रक्षेत्र** – संबंधित किसान कृषि (खाद्यान्न, दलहन, तेहलन) क्षेत्र में कम–से–कम आधा एकड़ में फसल लगाया हो।

ii. **उद्यान प्रक्षेत्र** – संबंधित किसान कम से कम 0.25 एकड़ में सब्जी की खेती किया हो।

iii. **मत्स्यपालन** – इसके लिए किसान के पास कम से कम एक तालाब उपलब्ध हो।

iv. **गायपालन** – इसके लिए किसान के पास कम से कम एक दूधारू गाय उपलब्ध हो।

v. **बकरीपालन** – इसके लिए किसान के पास कम से कम एक बकरा/बकरी उपलब्ध हो।

ख. उत्पादकता के लिए – आवेदक को अपने फसल/ईकाई का प्रति ईकाई औसत उत्पादकता निम्न से कम नहीं होना चाहिए।

क्र0 सं0	व्यवसाय/ ईकाई का नाम	न्यूनतम उत्पादकता प्रति ईकाई	अभ्युक्ति
1.	संकर धान	75 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
2.	अधिक उपजशील धान	60 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
3.	संकर मक्का	75 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
4.	अरहर	15 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
5.	गेहूँ	40 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
6.	आलू	250 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
7.	चना	15 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
8.	मसूर	12 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
9.	राई/सरसो	10 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
10.	गाय पालन (विदेशी)	10 लीटर दूध प्रति गाय प्रति शाम (औसत)	
11.	गाय पालन (देशी)	05 लीटर दूध प्रति गाय प्रति शाम (औसत)	
12.	प्याज	200 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
13.	गरमा मूँग	5 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	

- वर्ष 2019–20 में कृषि प्रक्षेत्र अंतर्गत धान, गेहूँ एवं आलू फसल, मत्स्यपालन प्रक्षेत्र अंतर्गत क्रॉस गाय पालन एवं मत्स्य प्रक्षेत्र अंतर्गत मत्स्यपालन के लिए राज्य/जिला/प्रखंड स्तर पर सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए प्रत्येक प्रखंड में 01 किसान का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार से जिला स्तर पर उसी प्रक्षेत्र में 01 किसान का चयन किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर उसी प्रक्षेत्र में 01 किसान का चयन किया जाएगा।

- इस प्रकार से प्रत्येक प्रक्षेत्र अर्थात धान, गेहूँ, आलू, क्रॉस ब्रिड गाय पालन तथा मत्स्यपालन के लिए प्रत्येक प्रखंड के लिए कुल 534x 05 =2670 किसानों को, जिला स्तर 38X5=190 किसानों को तथा राज्य स्तर पर कुल 05 किसानों को सम्मानित किया जाएगा।
- प्रखंड स्तर पर किसानों को 10,000/– रूपये की नगद राशि दी जाएगी तथा **किसानश्री** की उपाधि से संबंधित प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।

- जिला स्तर पर किसानों को 25,000/– रूपये की नगद राशि दी जाएगी तथा **किसान गौरव** की उपाधि से संबंधित प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।
- राज्य स्तर पर किसानों को 50,000/– रूपये की नगद राशि दी जाएगी तथा **किसान श्रेष्ट** की उपाधि से संबंधित प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।
- किसान के चयन का आधार संबंधित प्रक्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान का चयन किया जाएगा।
- ऑन–लाईन आवेदन बामेती के वेबसाईट पर दिए गए लिंक में किसानों से प्राप्त किये जाएगे। इसके लिए किसानों को कोई शुल्क देना नहीं है। किसानों से ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त करने तथा उनके बीच व्यापक प्रचार–प्रसार करने का उतरदायित्व प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/सहायक तकनीकी प्रबंधक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार की होगी। ऑन–लाईन आवेदन भरने के लिए प्रखंड स्तरीय कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा भरा जाएगा। आवेदित आवेदन को डाउनलोड करने की जवाबदेही परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी।

(ग) उत्पादकता मूल्यांकन/निर्धारण हेतु समिति का गठन – किसानों से प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण/मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु प्रखण्ड स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है जिसक
सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है –

• प्रखंड कृषि पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
• प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	–	संयोजक
• प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी	–	सदस्य
• प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/उद्यान निरीक्षक / सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	–	सदस्य
• मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	–	सदस्य
• प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/पदाधिकारी	–	सदस्य
• प्रखंड मुख्यालय के वरीय सहायक तकनीकी प्रबंधक/ प्रखंड मुख्यालय का कृषि समन्वयक	–	सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों में से 04 सदस्यों की उपस्थिति/जाँच से कोरम पूरा माना जाएगा, परन्तु अध्यक्ष/संयोजक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जाँच की प्रक्रिया पूर्ण कराने की संपूर्ण उतरदायित्व प्रखंड कृषि पदाधिकारी की होगी।

i. उत्पादकता का मूल्यांकन/निर्धारण –

- कृषि प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि में संबंधित किसान द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उत्पादकता निर्धारण हेतु फसल जाँच कटनी के लिए फसल कटने के 10 दिन पूर्व आवेदनपत्र दिया जाएगा। आवेदक के आवेदन के आलोक में प्रखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रति एकड़ उत्पादकता का निर्धारण कंडिका सं0 05 में वर्णित शर्त्तों/मापदण्डों के आलोक में किया जाएगा।
- निदेशक पशुपालन, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति इकाई (02 गाय) का निर्धारण किया जाएगा।
- निदेशक मत्स्य, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति एकड़ का निर्धारण किया जाएगा।

ii. प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनपत्रों को जिला में भेजने की प्रक्रिया –

- प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि प्रक्षेत्र के प्रत्येक प्रक्षेत्र/व्यवसाय के सभी आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों तथा मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन अलग–अलग परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।
- पशुपालन प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

iii. प्रक्षेत्रवार/व्यवसायवार कृषक चयन हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन – इसके गठन का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा–

- जिला कृषि पदाधिकारी – अध्यक्ष
- जिला पशुपालन पदाधिकारी – सदस्य
- जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी – सदस्य
- सहायक निदेशक, उद्यान – सदस्य
- कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र – सदस्य
- परियोजना निदेशक, आत्मा – सदस्य सचिव

उपर्युक्त में से 04 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा माना जाएगा, परन्तु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के 01 सप्ताह के अंदर कृषक चयन की प्रक्रिया समिति को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने की संपूर्ण उतरदायित्व जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिला/प्रखंड का अनुश्रवण करेंगे।

b. राज्य स्तर पर समिति का गठन – प्राप्त आवेदनपत्रों की जाँच एवं वरीयता निर्धारण तथा चयन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से होगा–

- निदेशक, बामेती – संयोजक
- प्रभारी पदाधिकारी (आत्मा योजना) – सदस्य
- संयुक्त निदेशक (शस्य) योजना – सदस्य
- बामेती में उप निदेशक/स्टेट कॉओर्डिनेटर/ जेण्डर कॉओर्डिनेटर – सदस्य

i. उत्पादकता का मूल्यांकन/निर्धारण –

- कृषि प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि में संबंधित किसान द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उत्पादकता निर्धारण हेतु फसल जाँच कटनी के लिए फसल कटने के 10 दिन पूर्व आवेदनपत्र दिया जाएगा। आवेदक के आवेदन के आलोक में प्रखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रति एकड़ उत्पादकता का निर्धारित शर्त्तों/मापदण्डों के आलोक में किया जाएगा।
- निदेशक पशुपालन, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति इकाई (02 गाय) का निर्धारण किया जाएगा।
- निदेशक मत्स्य, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति एकड़ का निर्धारण किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर समिक्षा तथा अनुश्रवण का कार्य राज्य नोडल पदाधिकारी /निदेशक बामेती/ स्टेट कॉर्डिनेटर, प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निदेशक (शस्य) एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा करेंगे।

vi. जिला स्तरीय प्रदर्शनी, किसान मेला, फल/सब्जी प्रदर्शनी – जिला स्तर पर प्रति वर्ष 02 किसान मेला का आयोजन किया जाएगा (भारत सरकार के द्वारा निर्गत राशि के अनुसार)। मेला/प्रदर्शनी कम से कम दो दिन का होगा। मेला में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य कृषि विज्ञान केन्द्र एवं आत्मा के विभिन्न हिस्सेदारी (Stakeholder) को आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा। मेला में ज्यादा से ज्यादा किसानों की भागीदारी के लिए मेला का स्थान एवं दिनांक का व्यापक प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार की होगी। मेला में तकनीकी/प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को विशेष रूप से भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मेला को रूचिकर बनाने के लिए फल एवं सब्जी प्रदर्शनी ज्ञान परक टेस्ट लिये जायेंगे जिसमें सभी कृषक आमंत्रित होंगे। कृषकों की उत्कृष्ट प्रविष्टियों हेतु पारितोषिक वितरण किया जायेगा। किसान मेला के आयोजन का उत्तरदायित्व परियोजना निदेशक, आत्मा/ उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी जो जिले में अवस्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से किया जायेगा। मेला के

कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उप परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक की होगी। किसान मेला कार्यक्रम में राज्य स्तर पर समीक्षा प्रधान सचिव,कृषि विभागध्सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे।, प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों से समन्वय स्थापित करते हुए अनुश्रवण एवं आपेक्षित नेतृत्व प्रदान करेंगे तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण करने की संपूर्ण दायित्व जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी।

vii. कृषि सूचना प्रसार–एस0ई0डब्लू0पी0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषि एवं सम्बद्ध विभागों से संबंधित विशिष्ट तकनीकी जानकारी से संबंधित प्रचार–प्रसार पुस्तिका प्रकाशित करायी जाएगी जिसका वितरण प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक प्रचार प्रसार पुस्तिका अपने प्रखंड के अंतर्गत आने वाले संबंधित पंचायतों के सहायक तकनीकी प्रबंधक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से संबंधित पंचायतों के पुरूष/महिला किसानों के बीच वितरित किया जाएगा। प्रचार–प्रसार पुस्तिका प्रकाशित तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी/कर्मियों को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। जिला स्तर पर इसका अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी, प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलयी संयुक्त निदेशक (शष्य) राज्य स्तर पर इसका अनुश्रवण निदेशक बामेती के द्वारा किया जाएगा।

viii. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तकनीकी पैकेज का विकास–एस0ई0डब्लू0पी0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु "राज्य स्तर पर बामेती, पटना द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उसका किर्यांवयन" के कंडिका ix में निर्धारित प्रक्रिया प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर गठित कमिटि के माध्यम से सफल किसानों की सफलता की कहानी एवं उनके नवाचार कार्य का वृतचित्र तैयार किया जाएगा तथा उससे संबंधित वृतचित्र को किसान मेलों, गोष्ठी, सेमिनारों एवं ग्रामीण परिवेश में किसान भाईयों के बीच वृतचित्र दिखाकर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाएगा। सफलता की कहानी एवं उनके नवाचार कार्य के वृतचित्र का निर्माण कराने की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। राज्य स्तर पर इसका अनुश्रवण निदेशक बामेती के द्वारा किया जाएगा।

ix. किसान वैज्ञानिक मिलन–एस0ई0डब्लू0पी0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष में प्रत्येक आत्मा जिला द्वारा 02 किसान वैज्ञानिक मिलन (खरीफ एवं रबी मौसम में) कार्यक्रम का आयोजन राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषक प्रक्षेत्र पर किया जाएगा। जिलों में उत्पन्न समसामयिक समस्याओं की जानकारी हेतु इसमें कम से कम 30 किसानों की सहभागिता होना अनिवार्य होगा और एक किसान वैज्ञानिक मिलन पर अधिकतम 20,000 रू0 तक व्यय किए जा सकेंगे। कार्यक्रम आयोजन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक बामेती, प्रमंडल स्तर पर संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे।

कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उप परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक की होगी। किसान मेला कार्यक्रम में राज्य स्तर पर समीक्षा प्रधान सचिव,कृषि विभागध्सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे।, प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों से समन्वय स्थापित करते हुए अनुश्रवण एवं आपेक्षित नेतृत्व प्रदान करेंगे तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण करने की संपूर्ण दायित्व जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी।

vii. कृषि सूचना प्रसार–एस0ई0डब्लू0पी0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषि एवं सम्बद्ध विभागों से संबंधित विशिष्ट तकनीकी जानकारी से संबंधित प्रचार–प्रसार पुस्तिका प्रकाशित करायी जाएगी जिसका वितरण प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक प्रचार प्रसार पुस्तिका अपने प्रखंड के अंतर्गत आने वाले संबंधित पंचायतों के सहायक तकनीकी प्रबंधक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से संबंधित पंचायतों के पुरूष/महिला किसानों के बीच वितरित किया जाएगा। प्रचार–प्रसार पुस्तिका प्रकाशित तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी/कर्मियों को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। जिला स्तर पर इसका अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी, प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलयी संयुक्त निदेशक (शष्य) राज्य स्तर पर इसका अनुश्रवण निदेशक बामेती के द्वारा किया जाएगा।

viii. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तकनीकी पैकेज का विकास–एस0ई0डब्लू0पी0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु "राज्य स्तर पर बामेती, पटना द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उसका कियांवयन" के कंडिका ix में निर्धारित प्रक्रिया प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर गठित कमिटि के माध्यम से सफल किसानों की सफलता की कहानी एवं उनके नवाचार कार्य का वृतचित्र तैयार किया जाएगा तथा उससे संबंधित वृतचित्र को किसान मेलों, गोष्ठी, सेमिनारों एवं ग्रामीण परिवेश में किसान भाईयों के बीच वृतचित्र दिखाकर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाएगा। सफलता की कहानी एवं उनके नवाचार कार्य के वृतचित्र का निर्माण कराने की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। राज्य स्तर पर इसका अनुश्रवण निदेशक बामेती के द्वारा किया जाएगा।

ix. किसान वैज्ञानिक मिलन–एस0ई0डब्लू0पी0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष में प्रत्येक आत्मा जिला द्वारा 02 किसान वैज्ञानिक मिलन (खरीफ एवं रबी मौसम में) कार्यक्रम का आयोजन राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषक प्रक्षेत्र पर किया जाएगा। जिलों में उत्पन्न समसामयिक समस्याओं की जानकारी हेतु इसमें कम से कम 30 किसानों की सहभागिता होना अनिवार्य होगा और एक किसान वैज्ञानिक मिलन पर अधिकतम 20,000 रू0 तक व्यय किए जा सकेंगे। कार्यक्रम आयोजन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक बामेती, प्रमंडल स्तर पर संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे।

x. क्षेत्र दिवस/किसान गोष्ठी–एस0ई0डब्लू0पी0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रखण्ड स्तर पर 02 क्षेत्र दिवसधकिसान गोष्ठी का आयोजन (खरीफ एवं रबी मौसम में) सभी आत्मा द्वारा अपने संबन्धित जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित किया जायेगा। इसके लिए प्रति गोष्ठी अधिकतम 15000 रू0 तक व्यय किये जाने का प्रावधान होगा। गोष्ठी में किसानो के भाग लेने के लिए इनके के बीच इसका व्यापक प्रचार–प्रसार की जिम्मेवारी प्रखण्ड कृषि प्रबन्धक/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/सहायक तकनीकी प्रबन्धक/कृषि समंवयक/किसान सलाहकार की होगी। कार्यक्रम का क्रियांवयन की जिम्मेवारी परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी तथा परिचालन की जिम्मेवारी कार्यक्रम समंवयक तथा प्रधान, सम्बन्धित जिले की कृषि विज्ञान केन्द्र की होगी। कार्यक्रम का समीक्षा तथा अनुश्रवण संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा किया जाएगा।

xi. अल्पावधि अनुसंधान कार्य– जिलों में अल्पावधि अनुसंधान कार्य करने हेतु जिला/स्थानीय स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला अवस्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषि संस्थानों के माध्यम से समस्याओं के निदान हेतु अल्पावधि का अनुसंधान संबंधी कार्य किया जायेगा। जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र/अन्य अनुसंधान संस्थान द्वारा परियोजना निदेशक, आत्मा को इस हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा सक्षम प्रधिकार से अनुमोदनोपरांत उपलब्ध अल्पावधि अनुसंधान कार्य हेतु उपलब्ध राशि लगभग 50,000 रू0 (पचास हजार रू0 मात्र) को उपरोक्त संस्थानों को उपलब्ध करायी जायेगी। संबन्धित संस्थान द्वारा किये गये अल्पावधि अनुसंधान कार्य तथा इसके फलाफल से परियोजना निदेशक, आत्मा को अवगत करायेंगें तथा अनुसंधानोपरान्त उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से आत्मा कार्यालय में समर्पित करेंगे साथ ही इसमें व्यय की गई राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समर्पित करेंगें। अनुसंधान कार्य से प्राप्त फलाफल प्रतिवेदन जिलों में आयोजित प्रशिक्षण/गोष्ठी/प्रक्षेत्र दिवस के माध्यम से अन्य किसानों को संबंधित समस्याओ का समाधान करेंगे। अल्पावधि अनुसंधान कार्य का समीक्षा तथा अनुश्रवण राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशक, प्रसार शिक्षा, राज्य स्तर पर निदेशक बामेती तथा प्रमंडल स्तर पर संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) के द्वारा की जाती है।

xii. फार्म स्कूल– आत्मा योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में 02 किसान पाठशालाओं कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों में करके सीखने (Learning by doing) तथा देखकर और कटाई करके ही विश्वास किये जाने (Seeing & Harvesting is beliveing) के सिद्धांत पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए किसान सलाहकार/ कृषि समंवयक/ सहायक तकनीकी प्रबन्धक अपने पंचायत के नवाचार किसानो की विषयवार सूचि तैयार तथा कम्पाईल कर समेकित रुप से तैयार करते हुए अपने सम्बन्धित प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी इसे अंतिम रुप देने हेतु "राज्य स्तर पर बामेती, पटना द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उसका किर्यांवयन" के कंडिका ix मे' प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा प्राप्त किसानों के सूचि की समीक्षा की जायेगी। समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक द्वारा अंतिम रुप से समेकित किसानों के सूचि से संबन्धित प्रतिवेदन तैयार कर संबन्धित जिले के परियोजना निदेशक, आत्मा को अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायेंगे। परियोजना निदेशक,

आत्मा प्रखण्डों से प्राप्त नवाचार किसानो की विषयवार सूचि की तकनीकी रुप से समीक्षा करते हुए अनुमोदित कर सम्बन्धित प्रखण्ड के प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक को वापस कर दिया जायेगा। अनुमोदनोपरांत अनुमोदित सूचि तथा विषय/क्षेत्र के उपर चयनित प्रगतिशील किसान को किसान पाठशाला के संचालक के रुप में किया जाएगा। साथ ही साथ 25 किसानों को किसान पाठशाला के संचालक के आस–पास के इच्छुक ग्रामीण किसानों को सम्बद्ध किया जाएगा। किसान पाठशाला के संचालन हेतु 29414.00 (उनतीस हजार चार सौ चौदह रू0) उपलब्ध कराया जाएगा जो 06 वर्गों में विभक्त कर प्रगतिशील किसान के प्रक्षेत्र पर किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। किसान पाठशाला के संचालन की संपूर्ण जिम्मेवारी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक/ कृषि समंवयक की होगी तथा इसका समिक्षा तथा अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक बामेती, प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निदेशक (शस्य) तथा जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, आत्मा/उप परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा की जाएगी।

xiii. कृषि प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा – आत्मा जिला में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों में कार्यरत विस्तार कर्मी इस पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय होगा। एस0ई0डब्लू0पी0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रसार कर्मी को परियोजना निदेशक, आत्मा अपने जिले मे इससे सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करायेंगे। तत्पशचात पदाधिकारी/प्रसार कर्मी अपना आवेदन पत्र संबंधित जिलों के परियोजना निदेशक को समर्पित करेंगे। परियोजना निदेशक प्राप्त आवेदन पत्रों को बामेती को उपलब्ध करायेंगे। इच्छुक विस्तार कर्मी की सूची बनाकर बामेती द्वारा आत्मा नोडल सेल को भेजा जाएगा जिसका अनुमोदन आई0डी0डब्लू0जी0 से कराकर मैनेज हैदराबाद भेजा जाएगा। पूरे पाठ्यक्रम में प्रति प्रसार कर्मी 15,000 रू0 की दर से बामेती द्वारा व्यय किया जाएगा। बामेती, पटना के द्वारा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पाठ्यक्रम आयोजित कराने की जिम्मेवारी निदेशक बामेती की होगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक वर्ष के नवम्बर तथा दिसम्बर माह मे आवेदन आमंत्रित किया जाता है परियोजना निदेशक, आत्मा, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, निदेशक (प्रसार शिक्षा) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय /बिहार कृषि विश्वविद्यालय आदि के PGDAEM में निबन्धन हेतु आवेदन पत्र परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक बामेती के स्तर से पत्र भेजा जायेगा। जिला स्तर पर एस.ई.ड्ब्ल्यु.पी. में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बामेत कार्यालय को आवेदन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी परियोजना निदेशक की होगी। परियोजना निदेशक आत्मा आवेदन पत्र को सत्यापित करते हुए निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे निदेशक, बामेती प्राप्त आवेदन पत्र का जाँच कर पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एस.ई.ड्ब्ल्यु.पी. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सारे आवेदन पत्र को राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) अनुमोदनोपरांत आवेदन पत्रों को MANAGE, Haidrabad को स्पीड पोस्ट के माध्यम से निबन्धन हे उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसका अनुश्रवण मैनेज हैदराबाद के द्वारा किया जाएगा।

नवाचार गतिविधियाँ–

xiv. कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन –ये स्टेशन कृषि विज्ञान केन्द्र/आत्मा/कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, डेयरी से संबंधित संस्थान पर स्थापित किया जाएगा। कम्यूनिटी रेडिया स्टेशन के स्थापना हेतु संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि महाविद्यालयों के द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से लाइसेन्स लेने की जिम्मेवारी होती है। इसके लिए आवेदन पत्र, डिक्लेरेशन, एफीडेविट, बैंक गारण्टी आदि भरना होगा। ये सभी परियोजना निदेशक के माध्यम से भेजना होगा। चयनित संस्थान में 400 वर्गफीट का कमरा एवं अन्य आधारभूत संरचना होनी चाहिए साथ ही बिजली एवं मानव प्रस्थान संबंधित संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा। कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय के प्रमुख एवं परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। इसका अनुश्रवण कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली तथा राज्य स्तर पर निदेशक बामेती के द्वारा किया जाएगा।

xv. अन्य नवाचार गतिविधि–

1 अन्य नवाचार गतिविधि–राज्य स्तर – उत्कृष्ट तकनीकी का प्रचार–प्रसार हेतु वृतचित्र का निर्माण, उत्कृष्ट कार्य, नवाचार आदि कार्य करने हेतु आत्मा योजना द्वारा राशि की उपलब्धता कराया जाएगा जिसका अनुपालन निदेशक बामेती के द्वारा किया जाएगा एवं समय समय पर राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा।

2 अन्य नवाचार गतिविधि–जिला स्तर– जिला स्तरीय उत्कृष्ट तकनीकी का प्रचार–प्रसार हेतु वृतचित्र का निर्माण, उत्कृष्ट कार्य, नवाचार आदि कार्य करने हेतु आत्मा योजना द्वारा राशि की उपलब्धता कराया जाएगा जिसका अनुपालन परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा किया जाएगा एवं इसका अनुश्रवण निदेशक बामेती द्वारा किया जाएगा।

पुरी योजना का समीक्षा तथा अनुश्रवण राज्य स्तर पर प्रधान सचिव,कृषि विभाग/सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी करेंगे या इनके निदेश के आलोक में निदेशक, बामेती, बिहार, पटना समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे इस कार्य में स्टेट कॉर्डिनेटर इनका सहयोग करेंगे साथ ही सामेकित प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। समय–समय पर निदेशक, बामेती अपने स्तर से भी घटकवार समीक्षा, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कर सामेकित प्रतिवेदन तैयार कर राज्य नोडल पदाधिकारी को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे तथा उप निदेशक, बामेती अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित इस कार्य में सहयोग करेंगे तथा समय–समय पर आवश्यक्तानुसार आत्मा योजना अंतर्गत कार्यांवित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। तत्पश्चात इसका समेकित प्रतिवेदन निदेशक बामेती को उपलब्ध करायेंगे। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों से समन्वय स्थापित करते हुए अनुश्रवण एवं आपेक्षित नेतृत्व प्रदान करेंगे तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण करने की संपूर्ण दायित्व जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। प्रखण्ड स्तर पर योजना का समीक्षा तथा अनुश्रवण की जिम्मेवारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक, आत्मा योजना की होगी

05/12/19

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

राज्य स्कीम मद से कार्यान्वित होने वाले कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अनुदेश

योजना का नाम – राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2019–20 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत वेतन एवं ई0पी0एफ0 की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम, किसान उत्पादक संगठन का गठन, फसल अवशेष को जलने से रोकथाम एवं होर्डिंग लगाना।

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्नांकित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जायेंगे–

क. आत्मा योजना अंतर्गत राज्य योजना से कर्मियों के नियत वेतन एवं ई0पी0एफ0 की राशि –

- आत्मा योजना को सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य स्कीम के अंतर्गत बामेती में कार्यरत कर्मियों के नियत मानदेय एवं ई0पी0एफ0 की राशि की निकासी निदेशक कृषि, बिहार, पटना द्वारा कोषागार से की जाएगी तथा इसे निदेशक बामेती के पी0एल0 खाता में उपलब्ध कराया जाएगा। पी0एल0 खाता के माध्यम से बामेती में कार्यरत कर्मियों का भुगतान से संबंधित कार्य का कार्यान्वयन निदेशक बामेती, बिहार, पटना के द्वारा की जाएगी। उप निदेशक (लेखा), बामेती में कार्यरत कर्मियों का नियत वेतन आदि का भुगतान CFMS के माध्यम से उनके बैंक खाता में ट्रांसफर करने में सहयोग करेंगे। इसका अनुश्रवण राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना द्वारा किया जाएगा।
- आत्मा योजना को सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य स्कीम मद के अंतर्गत कार्यरत जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत कर्मियों के नियत मानदेय एवं ई0पी0एफ0 की राशि की निकासी संबंधित कोषागार से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। निकासी के उपरांत राशि को परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा तथा परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा संबंधित कर्मियों के नियत मानदेय एवं ई0पी0एफ0 आदि की राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य स्तर पर इसका अनुश्रवण राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना/निदेशक बामेती द्वारा की जाएगी।

ख. बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम

बामेती परिसर अंतर्गत प्रशासनिक भवन, उपस्करों एवं सामग्रियों की सुरक्षा/प्रबंधन निविदा के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। बामेती कार्यालय के प्रशिक्षु छात्रावास एवं प्रशासनिक भवन का हॉस्पटिलिटी मैनेजमेंट हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी को 6,49,000/– रू0 (छः लाख उपचास हजार रू0 मात्र) प्रतिमाह तथा सुरक्षा प्रदाता एजेंसी को गार्ड के लिए 12177.08 प्रति माह तथा सुपरवाईजर हेतु 12876.95 रू0 प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। बामेती परिसर अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा किया जा रहा प्रशासनिक भवन एवं पशिक्षु क्षात्रावास, परिसर के सौंदर्यीकरण एवं खान–पान प्रबन्धन संबन्धी

किये जा रहे कार्य तथा सुरक्षा प्रदाता एजेंसी के कार्य की समीक्षा हेतु निदेशक बामेती के अध्यक्षता में एक प्रबन्धन कमिटि के गठन किया जायेगा। कमिटि के गठन का स्वरुप निम्न प्रकार से होगा:-

- निदेशक, बामेती – अध्यक्ष
- प्रभारी पदाधिकारी (आत्मा योजना) – सदस्य
- स्टेट कॉर्डिनेटर, आत्मा नोडल सेल – सदस्य
- उप निदेशक (लेखा) – सदस्य
- उप निदेशक (पौधा संरक्षण) – सदस्य
- उप निदेशक (मत्स्य) – सदस्य
- उप निदेशक (प्रसार प्रबन्धन) – सदस्य सचिव

प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रबन्धन कमिटि की बैठक होगी। जिसमें सेवा प्रदाता के प्रबन्धकीय वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कमिटि के सदस्यों द्वारा सेवा प्रदाता एवं बामेती द्वारा किये गये इकरारनामा के आलोक में सेवा प्रदाता द्वारा किये गये प्रशासनिक भवन एवं पशिक्षु क्षात्रावास, परिसर के सौंदर्यीकरण एवं खान–पान प्रबन्धन आदि तथा सुरक्षा प्रदाता एजेंसी संबन्धी सम्पूर्ण कार्यों का समीक्षा तथा अनुश्रवण किये जाने हेतु निदेशक बामेती उप निदेशकों को अधिकृत करेंगे। उक्त कार्य से सम्बन्धित अधिकृत उप निदेशको द्वारा प्रबन्धन कमिटि को इकरारनामा के आलोक में सेवा प्रदाता तथा सुरक्षा प्रदाता एजेंसी द्वारा किये गये सम्पूर्ण कार्यों से सम्बन्धित प्रतिवेदन समर्पित केरेंगे। तत्पश्चात प्रबन्धन कमिटि उप निदेशकों द्वारा सेवा प्रदाता तथा सुरक्षा प्रदाता एजेंसी द्वारा किये गये कार्यों से सम्बन्धित प्रतिवेदन की समीक्षा करेगी। बैठक के उपरांत कमिटि के सदस्यों के द्वारा किये गये अनुशंसा/सुझाव के आलोक में एक कार्यवाही तैयार की जायेगी जिसे निदेशक, बामेती को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक बामेती के अनुमोदनोपरांत राज्य नोडल पदाधिकारी को बैठक की कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा तथा सेवा प्रदाता को अनुपालन हेतु भेजा जायेगा। अनुपालन नही होने की स्थिति में स्मार पत्र दिया जायेगा। स्मार पत्र देने के बाद भी अगर अनुपालन नही किया गया तो सेवा प्रदाता को काली सूची मे अंकित करने हेतु राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना, बिहार से अनुरोध किया जायेगा।

राज्य स्तर पर इसका समीक्षा तथा अनुश्रवण राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना/ निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के द्वारा की जायेगी। समय–समय पर आवशयक्तानुसार निदेशक, बामेती भी समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे तथा सम्बन्धित उप निदेशक इस कार्य में इनका सहयोग करेंगे तथा समेकित प्रतिवेदन तैयार कर निदेशक, बामेती को अग्रेतर कार्र्वाई हेतु समर्पित करेंगे।

- बामेती कार्यालय में अवस्थित ई–पुस्तकालय के लिए कृषि तथा कृषि के सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित क्षेत्रों सम्बन्धित पुस्तकों का क्रय तथा ई–लाईब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम (एक) वेब एप्लीकेशन का निर्माण किया जायेगा। इसके प्रबन्धन हेतु एक सहयोगी कर्मी के रुप में जिनको पुस्तकालय प्रबन्धन से समबन्धित अनुभव तथा कम्प्युटर (MS&office, Web site operation तथा अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकन कार्य का ज्ञान) सम्बन्धी जानकारी अनिवार्य रुप से होनी चाहिए का नियमानुकुल मानदेय का भुगतान किया

जायेगा। जिसका कार्यान्वयन निदेशक बामेती के द्वारा की जाएगी तथा सम्बन्धित उप निदेशक इस कार्य में सहयोग करेंगे। इसका अनुश्रवण राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना/निदेशक, बामेती, बिहार के द्वारा की जाएगी।

- राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर कार्यरत 4000 पदाधिकारियों/प्रसार कर्मियों को क्षमता संवर्द्धन विषयों पर 06 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (1000 रू0 प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से) का आयोजन निदेशक, कृषि, बिहार के अनुमोदनोपरान्त बामेती द्वारा की जाएगी। निदेशक, बामेती राज्य के सभी जिलों के जिला/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों / प्रसार कर्मियों के क्षमतासंवर्धन हेतु भेजने की जिम्मेवारी प्रत्येक जिले के जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। जिसका अनुश्रवण सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, कृषि विभाग, बिहार द्वारा की जाएगी।
- 20 प्रतिभागियों के 05 बैच का 08 प्रमंडल में स्थापित कम्प्यूटर लैब में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के निदेशन में प्रमण्डल/जिला/प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के क्षमता संवर्धन हेतु किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु पदाधिकारियों/ कर्मियों को भेजने की जिम्मेवारी संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य)/जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी की होगी। जिसका कार्यान्वयन परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में 400 रू0 प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के दर से व्यय किया जाएगा। राज्य स्तर पर इसका अनुश्रवण प्रधान सचिव, कृषि विभाग/सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, कृषि/ निदेशक, बामेती के द्वारा किया जायेगा।
- कृषि विभाग के सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार दिवस 2020 का आयोजन किया जाएगा। प्रधान सचिव, कृषि विभाग/सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, कृषि, बिहार के अनुमोदनोपरांत पटना, गाँधी मैदान मे बिहार दिवस के आयोजन हेतु पवेलियन का निर्माण ई–निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन कर किया जाता है। ई–निविदा के आमंत्रण की जिम्मेवारी निदेशक, बामेती की होगी। ई–निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता के चयन के पश्चात पवेलियन के निर्माण की जिम्मेवारी कृषि विभाग तथा बामेती की संयुक्त रुप से होगी। बिहार दिवस के आयोजन में होने वाले व्यय हेतु उपलब्ध राशि 25,00,000 (पच्चीस लाख रू0 मात्र) रुपये तक बामेती द्वारा करायी जायेगी। आयोजन का कार्यान्वयन कृषि विभाग/निदेशक बामेती के द्वारा किया जायेगा जिसका समिक्षा एवं अनुश्रवण कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार /सचिव, कृषि विभाग/ निदेशक, कृषि बिहार के द्वारा किया जायेगा।
- बामेती परिसर में विभिन्न प्रकार के सेमिनार/कार्यशाला एवं मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन निदेशानुसार कृषि विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। आयोजन का कार्यान्वयन निदेशक बामेती के द्वारा किया जाएगा जिसका समिक्षा एवं अनुश्रवण कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार /सचिव, कृषि विभाग/ निदेशक, कृषि बिहार के द्वारा किया जायेगा। बामेती शासी परिषद द्वारा अनुमोदित समिति द्वारा पत्रिका का प्रकाशन हेतु प्रकाशन सामग्री कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्र/आत्मा/कृषि विभाग /कृषि से सम्बद्ध क्षेत्र के

पदाधिकारियों से प्राप्त किया जायेगा। कृषि विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त सभी निदेशों को नियमानुसार पालन करते हुए इसका संकलन किया जायेगा। संकलन के उपरांत इसे सचिव, कृषि विभाग–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना, बिहार, पटना के माध्यम से माननीय मंत्री, कृषि से अनुमोदन हेतु संचिका को पृष्ठांकित किया जायेगा। अनुमोदनोपरांत बामेती द्वारा पंचायत स्तर तक कृषि तथा कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों के किसानों के बीच व्यापक कृषि समबन्धी आधुनिक तकनीक, मौशम आधारित फसलों से संबन्धित जानकारी सम्बन्धी प्रचार–प्रसार हेतु त्रैमासिक रुप से खेती बारी पत्रिका का प्रकाशन कराया जाएगा। प्रकाशन एवं वितरण का कार्यांवयन निदेशक, बामेती के द्वारा किया जाएगा तथा जिसका समिक्षा एवं अनुश्रवण कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार ध्सचिव, कृषि विभाग/ निदेशक, कृषि बिहार के द्वारा किया जायेगा।

- आत्मा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा आधारित कर्मियों के आकस्मिक मृत्यु होने पर आश्रितो को चार लाख रुपये की दर से अनुग्रह राशि उपलब्ध कराया जाएगा। आकस्मिक मृत्यु होने वाले पदाधिकारियोंध कर्मियों के आश्रितों द्वारा अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने समबन्धी प्रतिवेदन आवश्यक कागजातों को संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना निदेशक, आत्मा प्राप्त प्रतिवेदन का जाँच कर अपनी अनुशंसा के साथ अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद को भेजेंगे। आत्माशासी परिषद से अनुमोदनोपरांत परियोजना निदेशक आत्मा राशि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन निदेशक, बामेती, बिहार को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना निदेशक, आत्मा से प्राप्त आवेदन पर नियमानुकुल कारवाई करते हुए राज्य नोडल पदाधिकारी को अनुमोदनार्थ संचिका उपस्थापित करेंगे। राज्य नोडल पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निदेशक, बामेती राशि सम्बन्धित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे। राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा तथा अनुश्रवण राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना /निदेशक, बामेती, बिहार द्वारा की जाएगी।

ग. किसान उत्पादक संगठन का गठन – राज्य में छोटे–छोटे किसानों को संगठित कर सामुहिक खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में 1–1 अर्थात 534 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) का गठन किया जाएगा। FPO को कम्पनी एक्ट के अधीन निबंधित कराया जाना है। जिसके लिए निबंधन (@ 25,000 रू0 प्रति किसान उत्पादक संगठन प्रति प्रखंड), चार्टेड एकाउंटेंट (@ 20,000 रू0 प्रति किसान उत्पादक संगठन प्रति प्रखंड) एवं अन्यान्य कार्य (@ 5,000 रू0 प्रति किसान उत्पादक संगठन प्रति प्रखंड) की दर से कुल 50,000 रू0 प्रति किसान उत्पादक संगठन प्रति प्रखंड की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रखंड स्तर पर किसान उत्पादक संगठन का गठन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन की जवाबदेही संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी। प्रखंड स्तर पर कार्यों का निर्वहन प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के देख–रेख में कार्यान्वित किया जाएगा। जिन प्रखंडो में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक का नियोजन नहीं हुआ है वहाँ पर किसान उत्पादक संगठन का गठन उप परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ कृषि समन्वयक के द्वारा गठित कराया जाएगा। जिला स्तर पर किसान उत्पादक संगठन का गठन का अनुश्रवण परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर किसान उत्पादक संगठन का गठन का समीक्षा तथा अनुश्रवण कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/सचिव, कृषि विभागधनिदेशक, कृषि, बिहार/निदेशक, बामेती, बिहार करेंगे। समय–समय पर निदेशक, बामेती, बिहार, पट्ना के द्वारा समीक्षा तथा अनुश्रवण करेंगे तथा उप निदेशक, बामेती इस कार्य

मे सहयोग करेंगे साथ ही समेकित प्रतिवेदन तैयार कर निदेशक बामेती को अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायेंगे।

घ. फसल अवेशष (पराली) को खेतों में जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम –

राज्य के विभिन्न जिलों में फसल कटनी के बाद फसल अवशेष को किसान खेत में जला देते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस समस्या को निदान के लिए देश तथा प्रदेश स्तर पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा सजग प्रयास किया जा रहा है। बिहार राज्य के तीन जिले यथा पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर में प्रदूषण मानक पैमाने से अधिक हो गया है। उक्त के आलोक में राज्य के 03 जिलों यथा पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर के प्रत्येक प्रखण्ड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पंचायत के एक विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान छात्रों के द्वारा वाद–विवाद से संबंधित लिखित भी प्राप्त किया जाएगा। वाद–विवाद प्रतियोगिता को ससमय सम्पन्न कराने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसकी विवरणी निम्नवत है–

- संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य – अध्यक्ष
- संबंधित विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक – सदस्य
- संबंधित विद्यालय के हिन्दी के शिक्षक – सदस्य
- संबंधित पंचायत में कार्यरत सहायक तकनीकी प्रबंधक/ कार्यक्रम समन्वयक – सदस्य
- संबन्धित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी – सदस्य

वाद–विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र को 250 रू0 का कीट एवं प्रशस्ति पत्र, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र को 200 रू0 का कीट एवं प्रशस्ति पत्र तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र को 150 रू0 का कीट एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

समय – प्रति प्रतिभागी 30 मिनट अधिकतम समय सीमा निर्धारित है।

निबंधन – एक सप्ताह पूर्व में संबंधित विद्यालय के कार्यालय में वाद–विवाद प्रतियोगिता हेतु आवेदन के माध्यम से निबंधन **कराना होगा**।

वाद–विवाद प्रतियोगिता में कुल 100 अंक होंगें जिसकी विवरणी निम्नवत है –

Content	– 50 अंक
प्रस्तुतीकरण	– 30 अंक
प्रश्नोत्तर	– 20 अंक

- वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन की जिम्मेवारी किसान सलाहकार, कृषि समंवयक, एवं सहायक तकनीकी प्रबन्धक की होगी तथा सम्बन्धित पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा पंचायत के विद्यालय के प्रधानाचार्य से समंवय स्थापित कर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रखण्ड स्तर पर समीक्षा तथा अनुश्रवण सम्बन्धित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक सहायक तकनीकी प्रबन्धक की होगी। जिला स्तर पर समीक्षा तथा अनुश्रवण जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद/ जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक

निदेशक पौधा संरक्षण/ जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी करेंगे। प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक (शष्य) करेंगे। राज्य स्तर पर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के द्वारा किया जाएगा।

- **ङ. जल छाजन कार्यों के प्रचार–प्रसार** – भूमि संरक्षण निदेशालय की योजनाओं के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु योजना से संबंधित होर्डिंग राज्य के 8 जिलों में अवस्थित 64 परियोजना क्षेत्र एवं उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी 49 प्रखंड तथा 8 जिला मुख्यालय में परिचयात्मक होर्डिंग लगाया जाएगा। निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा होर्डिंग हेतु योजना से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी एवं निदेशक बामेती, बिहार, पटना द्वारा भूमि निदेशालय के द्वारा अनुमोदित दर पर संबंधित स्थानों पर एजेन्सी के माध्यम से होर्डिंग का प्रतिस्थापन कराया जाएगा तथा समिक्षा एवं अनुश्रवण कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार ध्सचिव, कृषि विभाग/ निदेशक, कृषि बिहार/निदेशक, बामेती/निदेशक भूमि संरक्षण के द्वारा किया जायेगा।

05/12/19

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

निदेशक पौधा संरक्षण/ जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी करेंगे। प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक (शष्य) करेंगे। राज्य स्तर पर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के द्वारा किया जाएगा।

ङ. **जल छाजन कार्यों के प्रचार–प्रसार** – भूमि संरक्षण निदेशालय की योजनाओं के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु योजना से संबंधित होर्डिंग राज्य के 8 जिलों में अवस्थित 64 परियोजना क्षेत्र एवं उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी 49 प्रखंड तथा 8 जिला मुख्यालय में परिचयात्मक होर्डिंग लगाया जाएगा। निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा होर्डिंग हेतु योजना से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी एवं निदेशक बामेती, बिहार, पटना द्वारा भूमि निदेशालय के द्वारा अनुमोदित दर पर संबंधित स्थानों पर एजेन्सी के माध्यम से होर्डिंग का प्रतिस्थापन कराया जाएगा तथा समिक्षा एवं अनुश्रवण कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार ध्सचिव, कृषि विभाग/ निदेशक, कृषि बिहार/निदेशक, बामेती/निदेशक भूमि संरक्षण के द्वारा किया जायेगा।

05/12/19
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना
दिनांकः- 07/12/19

ज्ञापांक 206/बामेती, पटना/2019 - 1816

प्रतिलिपि

सभी संबन्धित पदाधिकारी/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/12/19
निदेशक,
बामेती, बिहार, पटना
दिनांकः- 07/12/19

ज्ञापांक 206/बामेती, पटना/2019 - 1816

प्रतिलिपि

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/12/19
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना
दिनांकः- 07/12/19

ज्ञापांक 206/बामेती, पटना/2019/ - 1816

प्रतिलिपि

सचिव, कृषि, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, कृषि, बिहार के आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा योजना, को सूचनार्थ प्रेषित।

07/12/19
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना
दिनांकः- 07/12/19

ज्ञापांक 206/बामेती, पटना/2019/ - 1816

प्रतिलिपि

उप निदेशक (शष्य) सूचना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबन्धितों को संसूचित करने की कृपा की जाय।

07/12/19
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना